

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक— 21.09.2020

अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार —

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री अनुराग आर्य के कुशल निर्देशन में कल दिनांक 20.09.2020 को जनपद के थाना कन्धई के उ0नि0 श्री सन्तोष कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र कन्धई के गनईडीह तिराहा के पास से एक अभियुक्त सूरज सरोज पुत्र गया सरोज नि0 नरसिंहपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 396/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01. सूरज सरोज पुत्र गया सरोज नि0 नरसिंहपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर।
02. 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पुलिस टीम— उ0नि0 श्री सन्तोष कुमार मिश्रा मय हमराह थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

01 किलो 280 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 शातिर अभियुक्ता गिरफ्तार —

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री अनुराग आर्य के कुशल निर्देशन में जनपद के थाना पट्टी से प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा थानाक्षेत्र पट्टी के उडैयाडीह से 01 अभियुक्ता पुष्पा देवी पत्नी शीतला सिंह नि0 उडैयाडीह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 280 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 232/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण—

01. पुष्पा देवी पत्नी शीतला सिंह नि0 उडैयाडीह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी—

01 किलो 280 ग्राम अवैध गांजा।

पुलिस टीम—

01. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह मय हमराह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

अवैध स्मैक के साथ 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री अनुराग आर्य के कुशल निर्देशन में जनपद की स्वाट टीम व थाना अन्तू से उ0नि0 श्री रमेश कुमार मय हमराह द्वारा थानाक्षेत्र अन्तू के लोहगंपुर के पास से दो अभियुक्तों 01. आशीष तिवारी पुत्र विजय नरायण तिवारी नि0 सरखेलपुर

उड़ैयाडीह थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ 02. मो0 मुस्तकीम पुत्र एहसानउल्ला नि0 सदर बाजार अजीत नगर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को 04 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 488/20, 489/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

01. आशीष तिवारी पुत्र विजय नरायण तिवारी नि0 सरखेलपुर उड़ैयाडीह थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।
02. मो0 मुस्तकीम पुत्र एहसानउल्ला नि0 सदर बाजार अजीत नगर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी—

01. 04 ग्राम अवैध स्मैक।

पंजीकृत अभियोग—

- 01 मु0अ0सं0 488/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम आशीष तिवारी।
- 02 मु0अ0सं0 489/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम मो0 मुस्तकीम।

पुलिस टीम—

- स्वाट टीम जनपद प्रतापगढ़।
- उ0नि0 श्री रमेश कुमार मय हमराह थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

दिनांक 19.09.2020 को थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के राजापाल टंकी के पास स्थित टैम्पो स्टैण्ड पर सवारी बैठाने के विवाद को लेकर टैम्पो चालकों/कंडक्टरों में मारपीट हो गयी थी। इस मारपीट में एक टैम्पो के कंडक्टर राजू उर्फ फिरोज अहमद पुत्र अब्दुल हफीज नि0 बलीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 02 टैम्पो चालक 01.सचिन पाण्डेय पुत्र कृपा शंकर पाण्डेय नि0 खण्डेराय थाना को0नगर, प्रतापगढ़ व 02. शेष नरायण शर्मा पुत्र प्रमोद कुमार शर्मा नि0 पूरेशेख टेऊंगा थाना को0नगर जनपद प्रतापगढ़ को चाकू से मारा गया था। जिससे उक्त दोनों टैम्पो चालकों को गम्भीर चोटें आयी थी। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0— 836/20 धारा 307, 323, 504, 506 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग बनाम राजू उर्फ फिरोज अहमद व 02 अन्य के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। कल दिनांक 20.09.2020 को राजू उर्फ फिरोज अहमद पुत्र अब्दुल हफीज नि0 बलीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़को थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के एलआईसी ऑफिस के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू बरामद किया गया।